भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1976

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सूक्ष्म सिंचाई निधि

1976. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म सिंचाई निधि के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2021-22 के बजट में प्रस्तावित संचित निधि को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल निधि के अंतर्गत अनुमोदित और आरंभ की गई परियोजनाओं का वर्षवार और आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 2018-19 में नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि से एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया। एमआईएफ का मुख्य उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना के तहत उपलब्ध सहायता के अलावा सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को टॉप अप/अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा प्रदान करना है। राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई पर अभिनव/एकीकृत परियोजनाओं के लिए एमआईएफ का उपयोग भी कर सकते हैं। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के आधार पर, एमआईएफ कोष को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को एमआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य	परियोजना का प्रकार	स्वीकृत ऋण (करोड़)
2021-22	-	-	-
2022-23	राजस्थान	टॉप-अप सब्सिडी और अभिनव परियोजनाएं प्रदान करने के लिए	740.79
2023-24	कर्नाटक	टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करने के लिए	290.33

इसके अतिरिक्त, पीडीएमसी योजना के तहत किसानों को टॉप-अप सब्सिडी के लिए 2020-21 में 616.13 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई।

*****